सप्तदश बिहार विधान सभा

अष्टम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-15.03.2023 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री नन्द किशोर यादव, स०वि०स० श्री प्रमोद कुमार, स०वि०स० डॉ० सुनील कुमार, स०वि०स० श्री आलोक रंजन, स०वि०स० श्रीमती रेणु देवी, स०वि०स०	''बिहार राज्य में गौशालाओं के संचालन के लिए बिहार गौशाला एक्ट-1950 के तहत उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं कार्यसमिति का निर्वाचन गौशाला के सदस्यों द्वारा चुनाव प्रक्रिया में शामिल होकर किया जाता है । समिति के पदेन अध्यक्ष स्थानीय अनुमण्डल पदाधिकारी होते हैं । सम्पूर्ण राज्य में गौशालाओं का चुनाव समय पर न होने से गौशालाओं के रख-रखाव में कठिनाई होती है । उदाहरण के लिए श्रीकृष्ण गौशाला, पटना सिटी का वर्ष 2002 के बाद चुनाव नहीं कराया गया है । श्रीकृष्ण गौशाला, पटना सिटी में बड़ी संख्या में गौवंश की सेवा होती है तथा 350 लीटर दूध का उत्पादन प्रतिदिन होता है । वर्ष 2002 के उपरान्त समिति के कई लोगों का निधन हो गया है और कई अशक्त हो गये हैं । वर्ष 2014 में चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गयी, लेकिन चुनाव सम्पन्न नहीं हो सका । वर्ष 2022 में चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गयी, परन्तु अब तक लंबित है । अतः श्रीकृष्ण गौशाला, पटना सिटी सहित सम्पूर्ण राज्य की गौशालाओं के रख-रखाव को सुनिश्चित करने के लिए सभी गौशाला समिति के ससमय चुनाव कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''	पशु एवं मत्स्य संसाधन

2. डॉ० रामानुज प्रसाद, स०वि०स० श्री शकील अहमद खाँ, स०वि०स० श्री दामोदर रावत, स०वि०स० श्री गुंजेश्वर शाह, स०वि०स०	"सारण जिला के सोनपुर सहित पूरे बिहार में टोपोलैण्ड की जमीन का रजिस्ट्रेशन एवं म्यूटेशन (निबंधन एवं दाखिज-खारिज) टोपोलैण्ड के सर्वे के नाम पर रोक दिया गया था । टोपोलैण्ड के एरिया में पड़ने वाले दियारा इलाके में किसानों, गरीबों एवं छात्रों के साथ ही अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन-बसर करने वाले लोगों को इंदिरा आवास योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास योजना के साथ-साथ जमीन की कागजात के आधार पर मिलने वाले अन्य प्रमाण पत्र से बहुत बड़ी आबादी वंचित हो जा रही है । इन परिस्थितियों को देखते हुए मा० पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में निबंधन (रजिस्ट्रेशन) शुरू हुआ, लेकिन म्यूटेशन का कार्य अभी भी नहीं हो रहा है, जिससे बहुत बड़ी जनसंख्या तमाम सुविधाओं से वंचित हो जा रही है । जैसे सोनपुर के दियारा इलाका के मात्र सात पंचायत में ही 2772 इंदिरा आवास की दावेदारी वाले गरीब परेशान हो रहे हैं । इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि टोपोलैण्ड की एरिया में कितनी बड़ी आबादी तमाम सुविधाओं से वंचित हो रही है । अत: उपरोक्त परिस्थितियों की ओर हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	राजस्व एवं भूमि सुधार

पवन कुमार पाण्डेय
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-08/2023- 564 / वि०स०, पटना, दिनांक- 14 मार्च, 2023 ई० ।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

14-3-23
(विमलेन्दु भूषण कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-08/2023- 564 / वि०स०, पटना, दिनांक- 14 मार्च, 2023 ई० ।

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमश: माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रिगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

14-3-23
(विमलेन्दु भूषण कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-08/2023- 564 / वि०स०, पटना, दिनांक-14 मार्च, 2023 ई० ।

प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान् परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

14.3.23

(विमलेन्दु भूषण कुमार)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-08/2023- 564 / वि०स०, पटना, दिनांक-14 मार्च, 2023 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

14.3.23

(विमलेन्दु भूषण कुमार)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

14/3/23